न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 37/2024

श्रीमती गुलाब देवी उम्र 72 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्री छोटू लाल जी टांक जाति माली निवासी 41 शंकर नगर नया घर गुलाब बाडी कल्याणीपुरा रोड जैसलमेर हाउस के पीछे अजमेर।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. श्री देवकरण टांक पुत्र स्वर्गीय श्री छोटू लाल जी टांक जाति माली निवासी धाननाडी प्राचीन रामदेव मंदिर के पास बालुपुरा रोड रेलवे पुलिया के नजदीक अजमेर कार्यरत स्थल इलाका नंबर 22 ग्रेड–1, सी.बी.सी. सेक्शन केरिज वर्कशाप जोन्स गंज अजमेर।
2. श्रीमती वर्षा टांक पत्नी श्री देवकरण जी टांक निवासी धाननाडी प्राचीन रामदेव मंदिर के पास बालुपरा रोड रेलवे पुलिया के नजदीक अजमेर कार्यरत स्थल इलाका नंबर 22 बोगी सेक्शन केरिज वर्कशाप जोन्स गंज अजमेर

......रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 05.07.2024 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण अधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 10.12.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 05.07.2024, जिसमें "प्रार्थी (अपीलान्ट) एवं अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) को अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई सम्पत्ति को निरस्त नहीं करने से असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील कथनो को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलार्थी प्रार्थीया आदेश दिनांक 5.7.2024 जो कि श्रीमती गुलाब देवी बनाम श्री देवकरण टांक व अन्य प्रकरण संख्या 5/2024 के प्रकरण में धारा 23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में जो पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के द्वारा पारित किया गया और याचिका खारिज की गई तो वह दिया गया निष्कर्ष रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि प्रावधानों के प्रतिकूल है और अपास्त होने योग्य है जिसे कि अब

जिला कलक्टर
अजमेर

आगे इस प्रकरण में प्रश्नगत आदेश के नाम से निवेदन किया जायेगा। प्रार्थीया जिसकी उम्र 72 साल है और विधवा महिला है अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया का पुत्र है और अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया की पुत्रवधु है दोनो ही भारतीय उत्तर पश्चिम रेलवे में सेवारत है जो जायदाद प्रार्थीया की है जिसमें प्रार्थीया काबिज भी है जो कि खलीफा की डांग किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर में है जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर नौ कमरे, एक हॉल, दो टॉयलेट, एक स्टोर रूम पटटीपोश निर्मित एवं एक डायनिंग हॉल व छत पर जाने का जीना है जिस जायदाद के पूर्व में 20 फुट चौड़ा आम रास्ता है, पश्चिम में प्रार्थीया की जायदाद, उत्तर में जायदाद श्री ओमप्रकाश बनिष्ठिया, दक्षिण में बीस फुट चौड़ा आम रास्ता जिसका कि कुल क्षेत्रफल 248.88 वर्गगज है जिसमें आधे हिस्से में से प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा है एवं आधे हिस्से की मालिक प्रार्थीया है उस 1/4 हिस्से को सम्मिलित करते हुये अप्रार्थी नंबर 1 ने कागजात तैयार करवाये जो कि अप्रार्थी नंबर 1 ने यह वचन व कथन प्रार्थीया को दिया कि प्रार्थीया के साथ सद्भाविक व्यवहार करेगा पुत्रधर्म निभायेगा प्रार्थीया को तकलीफ नहीं देगा प्रार्थीया को हैरान परेशान नहीं करेगा प्रार्थीया पढ़ी लिखी नहीं है हस्ताक्षर करना ही जानती है अप्रार्थी नंबर 1 पर विश्वास करके जो कागज बनाया उस पर दस्तख्त कर दिये बिना समझे, जो आधा हिस्सा की मालिक प्रार्थीया है तो आधे हिस्से का भी दान–पत्र अप्रार्थी नंबर 1 ने अपने नाम बनवाया और प्रार्थीया को यह वचन व विश्वास दिया कि प्रार्थीया के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और हैरान परेशान नहीं करेगे पुत्रधर्म निभायेगा और उसका जो कागज अप्रार्थी नंबर 1 ने बनवाया तो उस पर प्रार्थीया ने बिना समझे हस्ताक्षर किये अंगूठा निशानी की जो कि उसकी नकल दिनांक 10.01.2024 को प्रार्थीया को प्राप्त हुई। अप्रार्थी नंबर 1 की नियम में फर्क आ गया अप्रार्थी नंबर 2 जो कि अप्रार्थी नंबर 1 की घर्मपत्नी है और प्रार्थीया की पुत्रवधु है दोनो जो कि धाननाडी प्राचीन रामदेव मंदिर के पास बालुपुरा रोड रेलवे पुलिया के नजदीक अजमेर में निवास करते है कर रहे है दोनो ने प्रार्थीया के साथ अभद्र व्यवहार किया गाली गलौच की धमकी दी, जो तथाकथित कागजात रिलीज डीड अप्रार्थी नंबर 1 ने बनाये तो जो वचन व विश्वास दिलाया प्रार्थीया को तो उसके कारण प्रार्थीया ने उस वचन व कथन पर विश्वास किया तथा गवाह भी अप्रार्थी नंबर 1 ने करवाये अप्रार्थी नंबर 1 के कथन व वचन पर विश्वास कर जो प्रार्थीया ने हस्ताक्षर किये व अंगूठा किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थीया को दिनांक 8.1.2024 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी नंबर 1 व अप्रार्थी नंबर 2 दोनो के मन बदल गये एवं अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया अप्रार्थीगण अलग रहते है प्रार्थीया अलग रहती है प्रार्थीया वृद्ध है शरीर से कमजोर है वह अप्रार्थीगण के अत्याचार सहन करती रही व कर रही है दिनांक 31.1.2024 को नोटिस भी अप्रार्थी नंबर 1 को प्रार्थीया ने भिजवाया एवं जो दान–पत्र व रिलीज डीड बनवाये तो उन्हे प्रार्थीया ने निरस्त कर दिये, प्रार्थीया संपति में रह रही है काबिज प्रार्थीया है जो नोटिस प्रार्थीया ने भिजवाया अप्रार्थी नंबर 1 को तो उसका जवाब अप्रार्थी नंबर 1 ने श्री अशोक माथुर एडवोकेट से भिजवाया उस जवाब में बिलकुल गलत एवं सारहीन तथ्यों का हवाला दिया व दिलवाया जिसका वापस जवाबुल जवाब प्रार्थीया ने भिजवाया और जवाबुल जवाब में सही व वास्तविक तथ्य प्रार्थीया ने लिखे अप्रार्थी नंबर 1 व अप्रार्थी नंबर 2 दोनो ने मिलकर शून्य अवैध कागजात बना लिये दिनांक 27.1.2024 की तारीख का दान–पत्र अप्रार्थी नंबर 1 ने अप्रार्थी नंबर 2 के नाम बना दिया अप्रार्थीगण किस हद तक असदभाविक है दस हजार रूपये माहवार की राशि की मांग प्रार्थीया से की जो अपने आपमें सबसे बडी क्रूरता है एवं अत्याचार की पराकाष्ठा है। प्रार्थीया एक वरिष्ठ नागरिक है विधवा अनपढ है और अप्रार्थी नंबर

जिला कलक्टर
अजमेर

1 पुत्र है अप्रार्थी नंबर 2 पुत्रवधु है अप्रार्थी नंबर 1 ने शून्य अवैध दस्तावेज बना लिये बनवा लिया जो शून्य दस्तावेज हमेशा शून्य है जो वरिष्ठ नांगरिक की संपत्ति है तो वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति जो वरिष्ठ नागरिक से प्राप्त की जाने की कोशिश की जाती है तो वरिष्ठ नागरिक का सम्मान करना उसका मान–सम्मान करना आवश्यक जरूरी है। भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने यह निष्कर्ष दिया कि संपति प्रार्थीया की नहीं है तो जब यदि प्रार्थीया की संपति ही नही है तो फिर प्रार्थीया से शून्य अवैध दस्तावेज बनाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता एवं जब शून्य अवैध कागजात बनवाये तो प्रार्थीया को मालिक माना प्रार्थीया मालिक थी तभी तो बनवायें। अतः जो निष्कर्ष भरण पोषण अधिकरण ने दिया वह अपास्त होने योग्य है रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रार्थीया के नाम है जो प्रार्थीया ने संपत्ति खरीदी है जिसका शून्य अवैध उपहार पत्र बनवा लिया तो वह उपहार पत्र शून्य है क्योंकि प्रार्थीया के साथ पूर्णतया अभद्र व्यवहार करना शुरू किया एवं कर रहे है। अतः दस्तावेज शून्य है एवं जो रिलीज डीड भी बनवाया प्रार्थीया से उसे झूठा आश्वासन देकर वचन व विश्वास देकर तो वह भी प्रार्थीया जब मालिक थी तब बनवाया अन्यथा बनवाया ही नहीं जा सकता था यदि प्रार्थीया मालिक नहीं होती तो जो निष्कर्ष दिया गया वह अपास्त होने योग्य है। धारा 23 अभिभावको एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 में दस्तावेज शून्य करने बाबत ही प्रावधान है उसकी पूर्णतया अनदेखी माननीय भरण पोषण अधिकरण के द्वारा की गई एवं धारा 27 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माननीय सिविल न्यायालय में तो प्रार्थीया जा ही नही सकती है भरण पोषण अधिकरण को ही गौर करना है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 05.07.2024 प्रकरण संख्या 05/2024 श्रीमती गुलाब देवी बनाम श्री देवकरण टांक व अन्य के प्रकरण में माननीय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किया जाये, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये अप्रार्थी नंबर 1 ने जो रिलीज डीड दिनांक 1.7.2020 की तारीख का बनवाया जिस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी की करवाई जो कि दान पत्र व रिलीज डीड है तो वह प्रार्थीया के हक व हिस्से तक निरस्त घोषित किया जोय जो दान–पत्र दिनांक 27.1.2024 की तारीख का अप्रार्थी नंबर 1 ने अप्रार्थी नंबर 2 के नाम बनाया उसे भी प्रार्थीया के हक व हिस्से तक निरस्त किया जाकर निरस्त किया जाये एवं इसकी सूचना उप पंजीयक अजमेर को भेजी जाये न्याय संगत होगा। अपीलांट ने जवाब लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 15.09.2021 सिविल अपील नम्बर 5717/2021 बउनवान सोनामति देवी व अन्य बनाम महेन्द्र विश्वकर्मा व अन्य, व स्पेशल लीव अपील नं. 3506/2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा का सीडब्ल्यू नं. 13121/2016 उनवान गुरदीप सिंह व अन्य बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांक 29.11.2017 व माननीय उच्चतम न्यायालय का सिविल अपील नं. 3822/2020 उनवान एस. वनीता बनाम द डेप्यूटी कमिश्नर व अन्य आदेश दिनांक 15.12.2020 पेश किया गया।

रेस्पोडेन्ट ने जवाब/लिखित बहस प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्टगण ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अपीलार्थी की ओर प्रथम दृष्टया कानून के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत जायदाद जो कि खलीफा की डांग ग्राम किराणीपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। उक्त

जिला कलक्टर
अजमेर

आराजीयात गुलाब देवी पत्नि छोटूलाल द्वारा विधिवत रूप से रिलीड डीड निष्पादित की थी तथा उक्त डीड अपीलांट द्वारा स्वेच्छा से तथा बिना किसी दबाव एवं बिना किसी शर्त के राजी खुशी उक्त प्रयोजनार्थ स्वयं द्वारा स्टाम्प खरीदकर तथा स्वयं द्वारा दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय के अन्दर स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करवाये गये है। उक्त दस्तावेज में अपीलांट द्वारा स्वयं अंकित किया कि मेरे पुत्र डालचन्द, गुलाब देवी (अपीलांट) व पार्वती देवी के बीच में आपसी सहमति से बिना किसी शर्त के छोटूलाल जी के निधन के पश्चात विरासत में प्राप्त जायदाद का आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा होकर तथा उक्त पर कियांविती करते हुए उक्त दस्तावेज निष्पादित किये है। इस प्रकार से उक्त समस्त दस्तावेज विधिनुसार सही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 धाननाडी प्राचीन मंदिर के पास बालुपुरा रोड रेल्वे पुलिया अजमेर में निवास करते है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट के साथ किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार, गाली गलौच नहीं की गयी है अपितु अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को विभिन्न प्रकार से गाली गलौच व धमकियां दी जा रही है तथा उक्त रिलीज डीड अपीलांट द्वारा विधिवत रूप से तस्दीक की गयी है जिसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई दबाव या अवांछित कथन नहीं किया गया है तथा अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को जरिये अभिभाषक नोटिस भिजवाया गया था जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विधिवत रूप से अपने अभिभाषक श्री अशोक माथुर द्वारा प्रदान किया जा चुका है जिसमें भी रेस्पोडेन्ट द्वारा उन पर लगाये गए असत्य कथनो का खण्डन किया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध एवं गलत दस्तावेज नहीं बनाये गए है अपितु अपीलांट द्वारा राजीखुशी तथा सहमति के आधार पर उक्त दस्तावेज निष्पादित किया है। जिसमें अपीलांट के छोटे पुत्र डालचंद पुत्र स्व0 छोटूलाल, पार्वती पुत्री छोटूलाल के हस्ताक्षर है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की किसी भी प्रकार से बेईज्जती एवं तिरस्कार नहीं किया गया है तथा उक्त अपील में अंकित कथन कतई घौर मनगढन्त तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की गरज से अंकित किये है रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट से दस हजार रूपये अथवा किसी भी प्रकरण की धनराशि की मांग नहीं की गयी है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी माता की सेवा एवं सुश्रुषा की गयी है तथा वर्तमान अपीलांट अन्य असामाजिक तत्व के लोगो के बहकावे में आकर रेस्पोडेन्ट को हैरान एवं परेशान करने के उदेश्य से उक्त मुकदमेंबाजी कर रही है जो कि गलत है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजो का पूर्णतया अवलोकन करने के पश्चात विधिवत रूप उनके समक्ष लम्बित उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.07.2024 को निरस्त किया है जो कि उचित है। अपीलांट द्वारा अपने छोटे पुत्र डालचन्द पुत्र स्व0 छोटूलाल को पक्षकार के रूप से तर्तिब नहीं कर तथा कथनों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाब एवं जवाब के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार आदेश दिनांक 05.07.2024 पारित किया है जो कि न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र तथा सम्बंधित रिलीज डीड एवं दान पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है तथा उक्त दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि छोटूलाल के निधन के पश्चात उनकी सम्पत्ति बाबत उनके परिवार वालो के मध्य आपसी समझाईश कर मौखिक बंटवारे के अनुसार उनकी समस्त सम्पत्ति का उप पंजीयक के समक्ष रजिस्टर्ड बंटवारा कर दिया गया था उसी अनुक्रम में अपीलांट के द्वारा (जो कि छोटूलाल के द्वारा अपने पैसो से क्रय की गयी थी आराजीयात) बाबत रिलीज डीड तस्दीक की गयी है जिस बाबत अपीलांट द्वारा स्टाम्पों का स्वयं उपस्थित होकर क्रय किया गया जिसमें

जिला कलक्टर
अजमेर

अपीलांट के छोटे पुत्र डालचन्द पुत्र स्व0 छोटूलाल तथा पार्वती पुत्री छोटूलाल के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि उक्त सभी दस्तावेज विधिक दस्तावेज है जिनका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 5.7.2024 में विवेचन करने के पश्चात अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। खरीदी गई सम्पत्ति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व0 छोटूलाल के पैसो के द्वारा खरीद कर उक्त सम्पत्ति अपीलांट के नाम से खरीदी गयी थी। इस प्रकार से अपीलांट द्वारा उक्त पैरा में तथ्यों को तोड मरोड कर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलांट द्वारा विधिनुसार उक्त सम्पत्ति बाबत दस्तावेज निष्पादित किये है तथा उसी अनुक्रम में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड दान पत्र निष्पादित करवाया गया है जो कि विधिनुसार सही है तथा अपीलांट छोटे पुत्र डालचन्द पुत्र छोटूलाल एवं अनर्गल लोगो के बहकावे में आकर वरिष्ठ अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 का गलत व नाजायज फायदा उठाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार दिनांक 5.7.2024 को निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा विधिनुसार स्वयं के द्वारा स्टाम्प क्रय कर स्वयं सम्बधित उप पंजीयक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त बख्शीशनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष निष्पादित किये गए है जिसमें उनके छोटे पुत्र डालचन्द पुत्र छोटूलाल तथा उनकी पुत्री पार्वती देवी पुत्री छोटूलाल के हस्ताक्षर अंकित है तथा उक्त दस्तावेजो में ऐसी किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को भरण पोषण हेतु पेंशन एवं रहने के लिए स्वयं का मकान अवस्थित है जिसमें वर्तमान में अपीलांट निवास कर रही है तथा अपीलांट द्वारा उक्त अधिनियम का नाजायज लाभ अर्जित करने के उदेश्य से उक्त प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील को इसी स्तर पर निरस्त फरमावे। रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2022 (1) RLW 849 (Raj) Vinod Sharma Vs. Smt. Shanti Devi & Ors. (Mehta, J.) पेश किया गया।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अपीलार्थी का मुख्यतः कथन है कि अप्रार्थी नंबर 1 ने जो रिलीज डीड दिनांक 01.07.2020 की तारीख का बनवाया जिस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी की करवाई जो कि दान पत्र व रिलीज डीड है तो वह प्रार्थीया के हक व हिस्से तक निरस्त घोषित किया जाये जो दान–पत्र दिनांक 27.01.2024 की तारीख का अप्रार्थी नंबर 1 ने अप्रार्थी नंबर 2 के नाम बनाया उसे भी प्रार्थीया के हक व हिस्से तक निरस्त किया जाये। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उक्त अराजीयात गुलाब देवी पत्नि छोटूलाल द्वारा विधिवत रूप से रिलीड डीड निष्पादित की थी तथा उक्त डीड अपीलांट द्वारा स्वेच्छा से तथा बिना किसी दबाव एवं बिना किसी शर्त के मर्जी खुशी उक्त प्रयोजनार्थ स्वयं द्वारा स्टाम्प खरीदकर तथा स्वयं द्वारा दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय के अन्दर स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करवाये गये है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के रहने हेतु मकान सम्बन्धी दस्तावेज (फोटोग्राफ) प्रस्तुत की हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलांट के पास रहने हेतु अपना पूरा मकान है जिसमें अपीलांट वर्तमान में निवास कर रही है, इस प्रकार अपीलांट के पास भरण पोषण एवं रहने हेतु मकान उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार साक्ष्य सुनवाई पश्चात निर्णय पारित किया गया है, उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक

जिला कलक्टर
अजमेर

05.07.2024 न्यायोचित प्रतीत होता है। जिसकी डिक्री की प्रकाश में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः अधीनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आक्षेपित आदेश दिनांक 05.07.2024 को यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाता है। अपील अस्वीकार खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक [illegible].07.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर